राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जालोर

क्रमांक : रसद / FPS / विज्ञप्ति / 2026 /   दिनांक –

:: संशोधित विज्ञप्ति 01 / 2026 ::

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में कुल 27 रिक्त एवं 2 नवसृजित (कुल 29) उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों / संस्थाओं से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।

इस हेतु विभागीय दिशा–निर्देश क्रमांक एफ 17 (1) खा.वि. / विधि / 08 दिनांक 17.03.2016, एफ.17(16)खा.वि. / विधि(न्याय) / 2011 दिनांक 26.12.2019, एफ.17 (5)खा.वि. / न्याय / महि.आर. / 2019 दिनांक 25.11.2020 एवं एफ 17(11) खा.वि. / न्याय / उदयपुर / 2012 जयपुर दिनांक 23.06.2022 के अंतर्गत जिला रसद कार्यालय जालोर से सशुल्क आवेदन पत्र दिनांक 09.02.2026 से प्राप्त किये जाकर जमा करवाने की अंतिम दिनांक 27.02.2026 (सायं 06.00 बजे) तक कार्य–दिवस एवं समय पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवाये जा सकेंगे।

जालोर जिले में निम्नानुसार रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए विज्ञप्ति जारी की जाती है–

क्र. स.	उचित मूल्य दुकान का विवरण						महिला आरक्षित / अनारक्षित
	तहसील	ग्रामीण / शहरी	क्र. स.	ग्रा. पं. / न. पा.	उचित मूल्य दुकान का मुख्यालय	एफपीएस कोड	
1	आहोर	ग्रामीण	1	कवराडा	कवराडा	618	अनारक्षित
2			2	डोडीयाली	डोडीयाली	663	अनारक्षित
3	भीनमाल	ग्रामीण	1	खेडा बोरटा	भीमपुरा	758	महिला आरक्षित
4			2	खेडा बोरटा	खेडा बोरटा	759	महिला आरक्षित
5			3	कोटकास्ता	कोटकास्ता	769	अनारक्षित
6			4	अरणु	वागावास	नवसृजित	महिला आरक्षित
7		शहरी	1	भीनमाल न.पा.	पुरानी वार्ड सं. 16	19940	अनारक्षित
8			2	भीनमाल न.पा.	पुरानी वार्ड सं. 21	19942	अनारक्षित
9			3	भीनमाल न.पा.	पुरानी वार्ड सं. 17	19949	महिला आरक्षित
10			4	भीनमाल न.पा.	पुरानी वार्ड सं. 19	19952	महिला आरक्षित
11			5	भीनमाल न.पा.	पुरानी वार्ड सं. 20	19956	अनारक्षित
12			6	भीनमाल न.पा.	पुरानी वार्ड सं. 23	29737	अनारक्षित
13	चितलवाना	ग्रामीण	1	गोमी	हिण्डवाडा	1002	अनारक्षित

Signature Not Verified
Digitally signed by Alok Jharwal
Designation : District Supply Officer
Date: 2026.02.06 17:29:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20393651

14	जालोर	ग्रामीण	1	माण्डवला	माण्डवला (वार्ड सं. 1 से 5)	541	अनारक्षित
15	जसवंतपुरा	ग्रामीण	1	पंसेरी	पंसेरी	848	अनारक्षित
16			2	राजीकावास	राजीकावास	859	अनारक्षित
17			3	तातोल	तातोल	871	अनारक्षित
18			4	गजीपुरा	गजीपुरा	877	अनारक्षित
19			5	धनपुरा	डेरडी	नवसृजित	महिला आरक्षित
20	रानीवाडा	ग्रामीण	1	धानोल	धानोल	1017	अनारक्षित
21			2	गांग	हीरपुरा	1080	अनारक्षित
22			3	सांवलावास	सांवलावास	27062	अनारक्षित
23			4	रानीवाडा कलां	रानीवाडा कलां	27063	महिला आरक्षित
24			5	सिलासन	चरपटीया	30080	अनारक्षित
25	सांचोर	ग्रामीण	1	अचलपुर	अचलपुर	1000	महिला आरक्षित
26			2	कूडा	कूडा	31714	अनारक्षित
27	सायला	ग्रामीण	1	ऐलाना	ऐलाना	524	अनारक्षित
28			2	तेजा की बेरी	तेजा की बेरी	552	अनारक्षित
29			3	भाण्डवपुर	भाण्डवपुर	557	महिला आरक्षित

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन से संबंधित दिशा–निर्देश

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो तथा दो फोटो अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल जिला रसद कार्यालय जालोर से जारी किये जायेंगे। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/– रूपये निर्धारित है जो जिला रसद अधिकारी, जालोर के नाम से आवेदन पत्र प्राप्त करने से पूर्व ई–चालान के जरिये 1475–00–800–04–01 मद में जमा कराया जाकर जमा रसीद प्रस्तुत किए जाने पर प्राप्त किये जा सकेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Alok Jharwal
Designation : District Supply Officer
Date: 2026.02.06 17:29:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20393651

1. **उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताए एवं अन्य अर्हताएँ–**

(i)

A. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है, अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डो में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलो में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।

B. उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(ii) आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक उतीर्ण एवं कम्प्यूटर में Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक यह शपथ–पत्र देगा कि वह चयनित होने के 08 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जायेगा। आवेदक, समितियां/समूह/निकाय होने पर सम्बन्धित सचिव/प्रबन्धक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

(iii) उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई सन्तान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि पश्चात् दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात् भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है, तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाएगा।

2. **विशेष क्षेत्रों का वर्ग आरक्षण, महिला क्षैतिज आरक्षण, चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता :–**

उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में निम्न प्रकार से आरक्षण व्यवस्था लागू होगी –

(i) जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों और बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों में आरक्षण के क्रम में आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेंगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी –

1) दिव्यांग (बेरोजगार)
2) भूतपूर्व सैनिक (बेरोजगार)
3) अन्य पात्र (बेरोजगार)

Signature Not Verified

Digitally signed by Alok Jharwal
Designation : District Supply Officer
Date: 2026.02.06 17:29:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20393651

(ii) सभी रिक्तियों (नवसृजित सहित) के लिए 30 प्रतिशत महिलाओं (बेरोजगार) का क्षैतिज आरक्षण /वरीयता को रखा जाएगा। महिला क्षैतिज आरक्षण के क्रम में आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेंगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी–

1) दिव्यांग महिला (बेरोजगार)
2) शहीद की विधवा (वीरांगना) (बेरोजगार)
3) विधवा (बेरोजगार)
4) परित्यक्ता (बेरोजगार)
5) भूतपूर्व सैनिक महिला (बेरोजगार)
6) अन्य पात्र महिला (बेरोजगार)

(iii) अनारक्षित वर्ग के क्रम में आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना–पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार दो चरणों में पूर्ण की जायेगी –

A. प्रथम वरीयता (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगा–

1) ग्राम सेवा सहकारी समिति /लैम्पस (वृहतर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
2) महिला स्वयं सहायता समूह, जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव हो।
3) ग्राम पंचायत/निगमित निकाय

- आवेदक /समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- यदि विज्ञापन किये जाने के पश्चात् प्रथम वरीयता में अंकित क्रम संख्या 1 से 3 के अंतर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है, तो उसकों प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
- महिला स्वयं सहायता समूह के अनुभव के आंकलन के संबंध में निम्न आधार होंगे–
  (i) समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
  (ii) समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैक में खाता खुला हो।
  (iii) समूह के सदस्य तीन वर्षो से आंतरिक लेन–देन में संलग्न हो।

B. द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)

(i) दिव्यांग (बेरोजगार)
(ii) भूतपूर्व सैनिक (बेरोजगार)
(iii) अन्य पात्र (बेरोजगार)

3. **अन्य प्रावधान –**

(i) द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य अवधि अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alok Jharwal
Designation : District Supply Officer
Date: 2026.02.06 17:29:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20393651

(ii) प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्प्स/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय (functional toilet) है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।

(iii) आवेदक द्वारा दी गई सूचनाए गलत पाए जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

4. **आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :–**

(i) शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) संबंधी प्रमाण – पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ।

(ii) जन्म तिथि से संबंधित वैध दस्तावेज (जन्म प्रमाण–पत्र अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10वीं कक्षा की अंकतालिका) की प्रमाणित प्रति।

(iii) निवास से संबंधित वैध दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।

(iv) आरकेसीएल (आरएस–सीआईटी) 03 माह का आधारभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र। उक्त प्रमाण–पत्र नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि दुकान आवंटन होने के अधिकतम 08 माह के भीतर आरकेसीएल (आरएस–सीआईटी) का 03 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(v) आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/निकाय होने की स्थिति में उनके प्रबंधक/सचिव को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत् प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।

(vi) आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में **संबंधित बोर्ड की अभिशंषा** का पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii) आवेदक द्वारा संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/–रूपये का हैसियत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।

महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता/संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25 हजार रूपये होने संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, को, हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंशपूंजी का विवरण, कार्यशील पूंजी का विवरण, वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की यह अभिशंषा संलग्न करनी होगी कि समिति की वित्तीय हैसियत 1,00,000/–रूपये है और समिति की गत तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गंभीर अनियमितता नहीं है।

(viii) सभी आवेदकों को दो राजपत्रित अधिकारियो द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करने है, जो 06 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

(ix) महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा आवेदन किये जाने पर निम्नांकित से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे–

- (i) समूह के गठन की तिथि से संबंधित दस्तावेज।
- (ii) समूह के बैक खाता से संबंधित दस्तावेज, जिसमें बैंक खाता खुलने की तिथि का स्पष्ट अंकन हो।
- (iii) समूह के सदस्यों के विगत तीन वर्षो से आंतरिक [illegible] से संबंधित दस्तावेज।

Signature Not Verified

Digitally signed by Alok Jharwal
Designation : District Supply Officer
Date: 2026.02.06 17:29:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20393651

(x) प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्प्स/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय (functional toilet) है। उक्त प्रावधान उचितमूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।

(xi) प्रस्तावित दुकान का नक्शा दो प्रतियों में उपलब्ध करवाना होगा जो संबंधित क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा संवीक्षा के समय प्रमाणित किया जायेगा।

(xii) आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणा पत्र (50रु के नॉन–ज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित) दिया जायेगा :–

a. आवेदक पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
b. आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
c. आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता–पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
d. आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
e. आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित्त है, चाल–चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
f. आवेदक के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई सन्तान सहित दो से अधिक संतान नहीं है।
g. आवेदक के घर में कार्यशील शौचालय (functional toilet) है।
h. आवेदक (अनारक्षित वर्ग में प्रथम वरीयता के इतर होने की स्थिति में) बेरोजगार है।

(xiii) मूल निवास प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति (विवाहित महिलाओं की स्थिति में पैतृक निवास से संबंधित मूल निवास प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा)।

(xiv) विवाह पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।

(xv) जाति प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।

(xvi) आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।

(xvii) राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति।

(xviii) मतदाता परिचय पत्र की प्रमाणित प्रति।

(xix) पासपोर्ट साईज के 03 नवीनतम रंगीन फोटो जिनमें से एक आवेदन पत्र पर चस्पा किया जायेगा एवं दो संलग्न किये जायेंगे।

नोटः– **दस्तावेजों के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा आवेदन के साथ ही समस्त दस्तावेज स्वप्रमाणित कर जमा कराए जाने होंगे।**

उपर्युक्त रिक्तियों एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के संबंध में खाद्य विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17(1)खा.वि./विधि/08 दिनांक 17.03.2016, एफ.17(16)खा.वि./विधि(न्याय)/2011 दिनांक 26.12.2019, क्रमांक एफ.17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020, एफ.17(11)खा.वि./न्याय/उदयपुर/2012 दिनांक 23.06.2022 एवं समय–समय पर जारी उचित मूल्य दुकान आवंटन के दिशा–निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रियानुसार कार्रवाई की जानी है। उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला रसद कार्यालय जालोर एवं विभागीय वेबसाईट www.food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

उक्त रिक्तियों की संख्या में कमी/बढोतरी/संशोधन विभाग द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने /न भरने के संबंध में विभाग का निर्णय सुरक्षित रहेगा। उक्त रिक्ति[illegible] में अनुकम्पात्मक नियुक्ति अथवा रिवीजन का प्रकरण होने पर नियुक्ति संबंधित न्यायालय के निर्णय अधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Alok Jharwal
Designation : District Supply Officer
Date: 2026.02.06 17:29:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20393651

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जालोर

रहेगी तथा रिवीजन का प्रकरण होने पर नियुक्ति संबंधित न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगी तथा ऐसी स्थिति में रिक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

(आलोक झरवाल)
जिला रसद अधिकारी
जालोर

क्रमांक : रसद/FPS/विज्ञप्ति/2026/ दिनांक –

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. माननीय सांसद महोदय,लोकसभा क्षेत्र जालोर–सिरोही।
2. माननीय मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा जालोर।
3. श्रीमान् जिला प्रमुख,जिला परिषद जालोर।
4. माननीय विधायक महोदय,आहोर।
5. माननीय विधायक महोदय भीनमाल।
6. माननीय विधायक महोदय रानीवाडा।
7. माननीय विधायक महोदय सांचोर।
8. श्रीमान् शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज.जयपुर।
9. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज.जयपुर।
10. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदया, संभाग जोधपुर।
11. श्रीमान जिला कलक्टर जालोर।
12. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जालोर।
13. श्रीमान् उपनिदेशक, जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,जालोर को भेजकर निवेदन है कि जिले की वेबसाईट.. पर अपलोड करावें।
14. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला जालोर।
15. श्रीमान ए.सी.पी.(उपनिदेशक) को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाइट www.food.rajasthan.gov.inपर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
16. श्रीमान जिला सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी,जालोर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे।
17. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जिला जालोर।
18. समस्त तहसीलदार, जिला जालोर।
19. आयुक्त नगरपरिषद जालोर।
20. समस्त विकास अधिकारी/प्रधान, पंचायत समिति/सरपंच, ग्राम पंचायत जिला जालोर।
21. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका समस्त जिला जालोर।
22. समस्त प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक जिला जालोर।
23. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/जिला कलक्टर कार्यालय जालोर।

जिला रसद अधिकारी
जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Alok Jharwal
Designation : District Supply Officer
Date: 2026.02.06 17:29:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20393651